रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 262] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 21, 2016/ ज्येष्ठ 31, 1938
No. 262] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 21, 2016/JYAISTHA 31, 1938

महापत्त्न प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुम्बई, 14 जून, 2016

सं.टीएएमपी/53/2015-वीओसीपीटी— महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्द्वारा संलग्न आदेशानुसार इस प्राधिकरण द्वारा 26 नवम्बर, 2015 को पारित आदेश सं. टीएएमपी/53/2015-वीओसीपीटी में आगे और संशोधन करता है।

महापत्त्न प्रशुल्क प्राधिकरण

(मामला संख्या टीएएमपी/53/2015 वीओसीपीटी)

वी. ओ चिम्बरनार पत्तन न्यास ---- आवेदक

गणपूर्ति

(i) श्री टी. एस बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)

(ii) श्री रजत सचर, सदस्य (अर्थशास्त्र)

आदेश

(मई 2016 के 10वें दिन पारित)

इस प्राधिकरण ने अपने 29 सितम्बर, 2015 के पूर्व के आदेश संख्या टीएएमपी/53/2015-वीओसीपीटी का संशोधन 26 नवम्बर, 2015 के आदेश संख्या टीएएमपी/53/2015-वीओसीपीटी को जारी किया था जिसे महापत्तन न्यासों और वहां पर बीओटी प्रचालकों के लिए सामान्य अंगीकरण आदेश पारित करते हुए तटीय कार्गो / कंटेनर कार्गो लिए रियायती प्रभारों की वसूली का स्पष्टीकरण मांगने के लिए वीओ चिदम्बरनार पत्तन न्यास (वीओसीपीटी) द्वारा दाखिल किए गए आवेदन का निपटान किया था। 26 नवम्बर, 2015

के आदेश को 29 सितम्बर, 2015 के आदेश के लागू होने की तारीख से ही प्रभावी किया गया था। 26 नवम्बर, 2015 का आदेश भारत सरकार के राजपत्र के राजपत्र संख्या 400 के अंतर्गत 11 दिसम्बर, 2015 को अधिसूचित किया गया था।

2. महानिदेशक, पोत परिवहन ने अपने 20 मई, 2016 के पत्र संख्या एसडी-9/सीएचए आरटी(309)/2016 के द्वारा संसूचित किया है कि, महानिदेशक, पोत परिवहन को 9 मई, 2016 को अटलांटिक शिपिंग प्रा. लि. मुम्बई से कोलकाता पत्तन न्यास द्वारा डीजी, पोत परिवहन की अनुमति से आए और लाइसेंस के साथ निर्दिष्ट अवधि में तटीय यात्रा करने वाले विभिन्न विदेशी पोतों के प्रति अनुपूरक दावे प्रस्तुत करने के बारे में एक पत्र प्राप्त हुआ है।

3. इस संदर्भ में महानिदेशक, पोत परिवहन ने अपने 20 मई, 2016 के पत्र संख्या एसडी-9-सीएचएआरटी (309)2016 में वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 406 की उप धारा 2 को उद्धृत करते हुए यह स्पष्ट किया है कि महानिदेशक, पोत परिवहन, भारत सरकार, द्वारा अधिकृत 'निर्दिष्ट अवधि यात्रा' के लिए लाइसेंस प्राप्त विदेशी ध्वज पोत तटीय प्रचालन कर सकता है। महानिदेशक (पोत परिवहन) ने अनुरोध किया है कि इस स्पष्टीकरण पर विचार करें और तटीय पोतों की निर्बाध आवाजाही के प्रयोजन से इस स्पष्टीकरण को सभी महापत्तन न्यासों के संज्ञान में लाएं।

4. तदनुसार, महानिदेशक (पोत परिवहन) के 20 मई, 2016 के पत्र के अनुसरण में यह प्राधिकरण 26 नवम्बर, 2015 के आदेश संख्या टीएएमपी/53/2015-वीओसीपीटी के पैरा 9 क(ii) और 10(ii) में निर्धारित उपबंधों को निम्नलिखित उपबंधों से प्रतिस्थपित करता है :-

"9(क).(ii). विदेशी ध्वज का विदेशगामी पोत महानिदेशक पोत परिवहन द्वारा जारी किए गए विशिष्ट अवधि अथवा यात्रा के लिए लाइसेंस और सीमाशुल्क परिवर्तन आदेश के आधार पर तटीय चालन में परिवर्तित हो सकता है"।

"10.(ii). महानिदेशक पोत परिवहन द्वारा जारी किए गए विशिष्ट अवधि अथवा यात्रा के लिए लाइसेंस और सीमाशुल्क परिवर्तन आदेश के आधार पर तटीय चालन में परिवर्तित विदेशी ध्वज पोत के मामले में किसी भारतीय पत्तन से लादा गया और किसी अन्य भारतीय पत्तन के लिए निर्धारित तटीय कार्गो/कंटेनर पर तटीय कार्गो/कंटेनर हेतु लागू दर पर उगाही की जानी चाहिए"।

5.1. सभी महापत्तन न्यासों को यह निदेश दिया जाता है कि वे उपर्युक्त संशोधित प्रावधानों को उपर्युक्तः शामिल करते हुए तदनुसार अपने मौजूदा दरमानों को संशोधित करें।

5.2. निजी टर्मिनल प्रचालक जिनके दरमानों में प्रासंगिक शर्तें निर्धारित नवम्बर की गई है उन्हें भी निदेश दिया जाता है कि वे उपर्युक्त निर्धारित संशोधित प्रावधान इस प्राधिकरण के आदेश दिनांक 26 नवम्बर, 2015 के पैरा 9(क)(ii) और 10(ii) में निर्धारित उपबंधों को अब आशोधित उपबंधों से प्रतिस्थापित करें।

6. यह स्वीकार करते हुए कि यह आदेश इस प्राधिकरण द्वारा अपने आदेश सं. टीएएमपी/53/2015-वीओसीपीटी दिनांक 29 सितम्बर, 2015 और 26 नवम्बर, 2015 के संशोधिन आदेश द्वारा अनुमोदित प्रावधानों को स्पष्ट करने के लिए ही है, संशोधित प्रावधान आदेश दिनांक 29 सितम्बर 2015 के लागू होने की तारीख से प्रभावी होंगे।

टी.एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)

[विज्ञापन- III/4/असा./143/16(145)]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

Mumbai, the 14th June, 2016

No. TAMP/53/2015-VOCPT.—In exercise of the powers conferred by Section 48 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby extends the validity of the existing composite rate for on-board labour in lieu of levy and other charges to Cargo Handling Division of Kandla Port Trust as in the Order appended hereto.

Tariff Authority for Major Ports

Case No. TAMP/53/2015-VOCPT

V.O. Chidambaranar Port Trust ... Applicant

QUORUM

(i) Shri. T.S. Balasubramanian, Member (Finance)

(ii) Shri. Rajat Sachar, Member (Economic)

ORDER

(Passed on this 10th day of May, 2016)

This Authority vide its Order No.TAMP/53/2015-VOCPT dated 26 November 2015 approved an amendment to its earlier Order No.TAMP/53/2015-VOCPT dated 29 September 2015 which was passed for common adoption by Major Port Trusts and BOT operators thereat disposing of the application filed by V.O. Chidambaranar Port Trust (VOCPT) seeking clarification regarding levy of concessional charges for coastal cargo/container. The Order dated 26 November 2015 was given effect from the date the Order dated 29 September 2015 came into effect. The Order dated 26 November 2015 was notified in the Gazette vide No. 400 dated 11 December 2015 in the Gazette of India.

2. The DG, Shipping has conveyed vide its letter No.SD-9/CHART(309)/2016 dated 20 May 2016 that the DG, Shipping has received a letter dated 9 May 2016 from the Atlantic Shipping Pvt. Ltd., Mumbai about the supplementary claim raised by the Kolkata Port Trust (KOPT) against various foreign vessels chartered in with the permission of the DG, Shipping and with license to undertake the coastal voyage in a specified period.

3. In this context, the Director General (Shipping) vide their letter no. SD-9CHART(309)/2016 dated 20 May 2016 has clarified quoting sub-section 2 of Section 406 of the Merchant Shipping Act, 1958 that a foreign flag vessel with license for 'specified period or voyage' granted by the DG Shipping, GOI, can operate on coastal operations. The DG (Shipping) has requested this Authority to consider the clarification and bring the clarification to the notice of all Major Port Trusts for the purpose of hassle free movements of coastal vessels.

4. Accordingly, in pursuance of the communication from DG (Shipping) vide its letter dated 20 May 2016, this Authority replaces the provisions prescribed in paras 9 A (ii) and 10 (ii) of the Order no.TAMP/53/2015-VOCPT dated 26 November 2015 with the following provisions :

*"9A. (ii). A Foreign going vessel of foreign flag can convert to coastal run on the basis of a **License for Specified period or voyage** issued by the Director General of Shipping and a custom conversion order."*

*"10. (ii). In case of a Foreign flag vessel converted to coastal run on the basis of a **License for Specified period or voyage** issued by the Director General of Shipping, and a Custom Conversion Order, the coastal cargo/ container loaded from any Indian Port and destined for any other Indian Port should be levied at the rate applicable for coastal cargo/ container".*

5.1. All the Major Port Trusts are directed to amend their existing Scale of Rates accordingly by suitably incorporating the above amended provisions.

5.2. The BOT operators in whose Scale of Rates the relevant conditions are prescribed are also directed to replace the provisions prescribed in paras 9 A (ii) and 10 (ii) of the Order of this Authority dated 26 November 2015 with the modified provisions prescribed above.

6. Recognizing that this Order is only clarificatory in nature to the provisions approved by this Authority vide its Order no.TAMP/53/2015-VOCPT dated 29 September 2015 and the amended Order dated 26 November 2015, the amended provisions in this Order shall come into effect from the date of the Original Order dated 29 September 2015 has come into effect.

T.S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)

[ADVT.-III/4/Exty.143/16(145)]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.